दिनांक 19 फरवरी, 2020 को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों के राज्य–स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

---

1. **उपस्थितिः–संलग्न।**

सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को ससमय राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में भाग लेने का निदेश दिया गया। अनुपस्थिति के कारण की पूर्व सूचना अचूक रूप से निदेशालय को लभ्य नहीं कराने एवं बैठक में अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा वैध कारण नहीं रहने पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०/स्थापना

2. अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित 8वीं तारीख तक निदेशालय को लभ्य कराने वाले प्रमंडल/जिलों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा शेष को निर्धारित समय से अनुपालन करने हेतु सख्त निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

3. सभी नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी पदस्थापित प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी/अवर सांख्यिकी पदाधिकारी (अन्वेषक) का वर्तमान पदस्थापन स्थान के साथ आरक्षणवार/कोटिवार की अद्यतन स्थिति निदेशालय को लभ्य कराया जाय, ताकि आरक्षण रोस्टरवार रिक्ति की सूचना सरकार के माध्यम से आयोग को प्रेषित किया जा सके।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०/निदेशालय स्थापना

5. **बजट** :–

(i) मासिक व्यय विवरणी की समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा दिसम्बर, 2019 का मासिक व्यय विवरणी उपलब्ध करा दिया गया है। इसके लिए सभी को धन्यवाद देते हुए भविष्य में सभी प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।

अनुपालन– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

(ii) सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय उपशीर्षों के अन्तर्गत आवंटित राशि की समीक्षा कर वित्तीय वर्ष के अंत तक संभावित बचत का प्रत्यर्पण एवं अतिरिक्त राशि की अधियाचना तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि किसी कार्यालय की बचत की राशि वापस लेकर दूसरे कार्यालय को आवंटित किया जा सके।

CSO शीर्ष के अन्तर्गत यात्रा व्यय मद में पुनर्विनियोग द्वारा राशि प्राप्ति की कार्रवाई पूर्ण होते ही अधियाचना के अनुसार राशि आवंटित करने की सूचना दी गई।

अनुपालन– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

(iii) समीक्षा के क्रम में योजना मद से आवंटित सांख्यिकी दिवस समारोह, कृषि सांख्यिकी, जीवनांक, लघु सिंचाई गणना से संबंधित प्रशिक्षण एवं आंगनवाड़ी सेविका के मानदेय का भुगतान तथा पंचायत स्तरीय फसल कटनी प्रयोग हेतु आवंटित राशि का शत्–प्रतिशत व्यय दिनांक–29.02.2020 तक करने तथा व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधित शाखा के प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– संबंधित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(iv) रोकड़पंजी एवं कार्यालय के बैंक खाता में संधारित राशि से संबंधित BRS प्रतिवेदन की समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि कई कार्यालयों के बैंक खातों में रोकड़पंजी के अन्तःशेष से अधिक राशि संचित है। संबंधित कार्यालयों को स्पष्ट निदेशित किया गया कि अंतःशेष राशि एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार समायोजित कर ली जाय। समायोजन नहीं होने की स्थिति में शेष राशि संबंधित जमा शीर्ष में जमा कर दी जाय एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन निदेशालय को अविलम्ब प्रतिवेदित किया जाय।

अनुपालन– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

6. **वर्षापातः–**

(i) वर्षापात के आंकड़ों को प्रत्येक दिन 10 बजे पूर्वाह्न तक Web-Portal पर निश्चित रूप से अपलोड करने का निदेश दिया गया। यह भी निदेशित किया गया कि वर्षापात के 'शून्य' आंकड़ें प्राप्त होने पर भी प्रतिदिन अपलोड किया जाय।

अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०

(ii) ARG अधिष्ठापन के लिए चयनित स्थल हेतु जमीन मालिक से जिला सांख्यिकी पदाधिकारी संपर्क स्थापित कर नियमानुसार एकरारनामा करते हुए प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०